संख्या – 5235/8–3–2008

प्रेषक,

श्रीकृष्ण

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।
2. **अध्यक्ष**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास
   प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. **नियन्त्रक प्राधिकारी,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 13 अक्टूबर, 2008

विषय : नगरों की महायोजनाओं के अन्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 2898/9–आ–3–72वि./94, दिनांक 3.6.2001 तथा शासनादेश संख्या : 379/9–आ–3–72वि./94, दिनांक 25 जनवरी, 2002 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–57 के अन्तर्गत शासन द्वारा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स तैयार कर इस आशय से समस्त विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों को प्रेषित किया गया है कि प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में विचारोपरान्त आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकार कर लें। उक्त आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार कृषि एवं ग्रामीण आबादी भू–उपयोगों में फ्लाइंग क्लब/हैलीपेड का निर्माण सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से अनुमन्य किया गया है, जबकि शेष भू–उपयोगों में निषिद्ध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फ्लाइंग क्लब/हैलीपेड केन्द्र सरकार का विषय है तथा इनके निर्माण की अनुमन्यता व निषिद्धि के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में फ्लाइंग क्लब/हैलीपेड के सम्बन्ध में किए गए प्राविधान को शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त के दृष्टिगत महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में इस आशय का संशोधन कर लिया जाए कि फ्लाइंग क्लब/हैलीपेड की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल ऐसे भू–उपयोगों में दी जाएगी, जहॉ केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों में निर्धारित अपेक्षाएं पूर्ण होती हों।

3. कृपया तद्नुसार महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में संशोधन की कार्यवापही करे हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

श्रीकृष्ण

प्रमुख सचिव

<u>संख्या 5235(1)/8–3–2008, तद्दिनॉक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह

विशेष सचिव।